.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 495] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 5, 1981/ KARTIKA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

का० आ० 785 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किये जा सकने वाले अधिकारों का, जहां तक कि किसी भी सेवा में गैर-कानूनी हड़ताल या सिरिया और पाले खानों के कार्य संचालन से संबंधित ऐसे दोषों का संबंध है, सचिव, उद्योग एवं श्रम, पानाजी, गोवा द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है।

[सं० एल-29025/28/81-डी० III (डी)]
आर० कुंजीथापदम, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1981

S.O. 785(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (i) of section 34 of that Act in relation to the offences under Section 27 of the said Act shall, in so far as those offences relate to any illegal strike in any service in or in connection with the working of the Sirigao and Pale Mines, be exercisable also by the Secretary, Industries and Labour, Panaji, Goa.

[No. L-29025/28/81-D. III(B)]

R. KUNJITHAPADAM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1981